उ०प्र० परिवहन निगम

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ – 226001

दूरभाषःपी०बी०एक्स०– 2622363, 2627111

फैक्स : 0522-2615526, 2628841, 2623578

संख्याः 2523 सीएचक्यू/2013/32(1) CHQ/13 दिनांकः 13, दिसम्बर, 2013

कार्यालय आदेश

तात्कालिक प्रभाव से निम्नांकित अधिकारियों के अवकाश स्वीकृत करने हेतु निम्नानुसार अधिकारी प्राधिकृत होंगे :–

क्र0 सं0	अधिकारियों का पदनाम	अवकाश स्वीकृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी
1.	मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक) एवं समस्त प्रधान प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता/सेवा प्रबन्धक तथा निगम मुख्यालय में तैनात **समूह–"क" श्रेणी** के अन्य सभी अधिकारियों के 16 एवं अधिक दिनों तक के चिकित्सा/अर्जित अवकाश।	**प्रबन्ध निदेशक**
2.	मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक) एवं समस्त प्रधान प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता/सेवा प्रबन्धक तथा निगम मुख्यालय में तैनात **समूह–"क" श्रेणी** के अन्य सभी अधिकारियों के 06 दिन से 15 दिनों तक के चिकित्सा/अर्जित अवकाश।	**अपर प्रबन्ध निदेशक**
3.	मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्राविधिक) एवं समस्त प्रधान प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक/उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता/सेवा प्रबन्धक तथा निगम मुख्यालय में तैनात **समूह–"क" श्रेणी** के अन्य सभी अधिकारियों के 01 दिन से 05 दिनों तक के चिकित्सा/अर्जित अवकाश।	**मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)**
4.	निगम मुख्यालय के **समूह–"ख" श्रेणी** के अधिकारियों के समस्त चिकित्सा/अर्जित अवकाश एवं क्षेत्रों व अन्य इकाइयों में तैनात **समूह–"ख" श्रेणी** के अधिकारियों के 30 दिन से अधिक का चिकित्सा/अर्जित अवकाश।	**मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)**
5.	क्षेत्रों व अन्य इकाइयों मे तैनात **समूह–"ख" श्रेणी** के अधिकारियों के 30 दिन तक के चिकित्सा/अर्जित अवकाश	**क्षेत्रीय प्रबन्धक/ प्रधान प्रबन्धक**

अपर प्रबन्ध निदेशक, विधि परामर्शदाता, वित्त नियंत्रक, मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक) के आकस्मिक अवकाश प्रार्थना पत्र प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त आकस्मिक अवकाश प्रार्थना–पत्रों का रख–रखाव निगम स्थापना मुख्यालय अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

निगम मुख्यालय में तैनात **समूह "क"** एवं **"ख" श्रेणी** के अन्य अधिकारियों द्वारा आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्र शाखाधिकारियों के माध्यम से अपर प्रबन्ध निदेशक को प्रस्तुत किये जायेंगे तथा उनकी स्वीकृति के उपरान्त आकस्मिक अवकाश सम्बन्धी प्रार्थना–पत्रों का रख–रखाव निगम स्थापना मुख्यालय अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला/डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला, कानपुर एवं प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर तथा सभी क्षेत्रीय इकाइयों में तैनात क्षेत्रीय प्रबन्धकों का आकस्मिक अवकाश अपर प्रबन्ध निदेशक द्वारा स्वीकृत किया जायेगा तथा उसका रख–रखाव भी निगम स्थापना मुख्यालय

............2

अनुभाग द्वारा किया जायेगा। निगम स्थापना मुख्यालय अनुभाग को निगम की वेबवाईट www.upsrtc.com पर एक यूजर आईडी व पासवर्ड प्रदान किया जायेगा तथा उनके द्वारा अवकाश स्वीकृति आदेश सम्बन्धित अधिकारी को प्रेषित करने से पूर्व इसका अंकन वेबसाईट पर सुनिश्चित कराया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 01.01.2014 से प्रभावी होगा।

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रबन्ध निदेशक

<u>समसंख्यक / समदिनांकित</u>।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. वित्त नियंत्रक / विधि परामर्शदाता, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन / प्राविधिक), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त प्रधान प्रबन्धक, परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. प्रधान प्रबन्धक, केन्द्रीय कार्यशाला / डा0 राम मनोहर लोहिया कार्यशाला / प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान, उ0प्र0 परिवहन निगम, कानपुर।
5. प्रबन्धक(एम0आई0एस0), परिवहन निगम मुख्यालय को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु।
6. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / उप मुख्य यांत्रिक अभियन्ता, उ0प्र0 परिवहन निगम।
7. समस्त सेवा प्रबन्धक, उ0प्र0 परिवहन निगम।
8. प्रबन्धक, कार सेक्शन, उ0प्र0 परिवहन निगम।
9. निजी सचिव / वैयक्तिक सहायक, अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक / अपर प्रबन्ध निदेशक / मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन), परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
10. गार्ड पत्रावली।

31/12/13

(राजेन्द्र कुमार सिंह)
मुख्य प्रधान प्रबन्धक (प्रशासन)